राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

न. 61-65, संस्थागत क्षेत्र, डी ब्लॉक के सामने, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग निम्नलिखित पदों के लिए अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले भारतीय नागरिकों से में प्रतिनियुक्ति आधार parआवेदन आमंत्रित करता है:-

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	योग्यता एवं अनुभव केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश या स्वायत्त या वैधानिक संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी निम्नानुसार हैं:
1.	**उप सचिव**	03 (तीन)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह-'क', अननुस चिवीय	पे-मैट्रिक्स (78800-209200 रूपए) में स्तर 12	चयन	(क) (i) मूल संवर्ग विभाग में नियमित आधार पर समनुरूप पद पर हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में पे-मैट्रिक्स (67700-208700 रूपए) के स्तर-11 में या समकक्ष में पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री और सरकारी कार्यालय या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय में लेखा या प्रशासन या स्थापना कार्य का पांच वर्ष अनुभव रखता हो।
2.	**उप विधि सलाहकार**	01 (एक)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह-'क', अननुस चिवीय	पे-मैट्रिक्स (78800-209200 रूपए) में स्तर 12	चयन	(क) (i) मूल संवर्ग या विभागों में नियमित आधार पर समनुरूप पद पर हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में पे-मैट्रिक्स (67700-208700 रूपए) के स्तर-11 या समकक्ष में पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और विधि एवं विधायी मामलों का अनुभव हो; (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:-

						(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कानून की स्नातक डिग्री और विधि एवं विधायी मामलों को निपटाने का आठ वर्ष का अनुभव हो; या (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कानून की स्नातकोत्तर डिग्री और विधि एवं विधायी मामलों को निपटाने का पांच वर्ष का अनुभव हो।
3.	**अवर सचिव**	01 (एक)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह-'क', अननुस चिवीय	पे-मैट्रिक्स (67700-208700 रूपए) में स्तर-11	चयन	(क)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समनुरूप पद पर हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में पे-मैट्रिक्स के स्तर-8 या समकक्ष में पद पर नियुक्ति के बाद छः वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री और सरकारी कार्यालय या सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय में लेखा या प्रशासन या स्थापना कार्य का पांच वर्ष का अनुभव रखता हो।
4.	**अनुभाग अधिकारी**	03 (तीन)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह-'ख', अननुस चिवीय	पे-मैट्रिक्स (47600-151100 रूपए) में स्तर-08	चयन	(क)(i) मूल संवर्ग या अन्य विभाग में नियमित आधार पर समनुरूप पद पर हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में पे-मैट्रिक्स (44900-142400 रूपए) के स्तर-7 या समकक्ष में पद पर नियुक्ति के बाद आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और विधि एवं विधायी मामलों का अनुभव हो; (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री और सरकारी कार्यालय या सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय में लेखा या प्रशासन या स्थापना कार्य का पांच वर्ष का अनुभव रखता हो।

नोट 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो सीधी पदोन्नति की लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होगा।

नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट-4: आवश्यक/वांछनीय शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव का सत्यापन मूल प्रमाण पत्रों से किया जायेगा।

इच्छुक व्यक्ति "आवश्यक योग्यता एवं अनुभव एवं उपरोक्त शर्तों" को ध्यान में रखते हुए निर्धारित प्रोफार्मा में अपना आवेदन, पासपोर्ट आकार का फोटो, अपनी शैक्षिक योग्यता, अनुभव स्थापित करने वाले प्रमाणपत्रों की प्रतियों एवं सतर्कता अनापत्ति के साथ सचिव, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नं. 61-65, संस्थागत क्षेत्र, डी ब्लॉक के सामने, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को विज्ञापन के रोजगार समाचार में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेज सकते है। आवेदक अपने आवेदन की एक अग्रिम प्रति सभी दस्तावेजों की scanned प्रति सहित ई-मेल: secy-nch@gov.in पर भी निर्धारित तिथि तक आयोग को भेज दें।

महत्वपूर्ण टिप्पण: अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और एनसीएच बिना कोई कारण बताए ऐसे आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

सचिव (रा.हो.आ.)

National Commission for Homoeopathy

No. 61-65, Institutional Area, Opp. D Block, Janakpuri, New Delhi-110058

National Commission for Homoeopathy (NCH) invites applications through proper channel from suitable candidates for filling up the following posts on deputation basis.

Sl. No.	Name of post	Number of posts.	Classi-fication	Level in pay matrix.	Qualification & Experience **Officers of Central Government or State Governments or Union Territories or Autonomous or Statutory organisations, Public Undertakings or Universities or recognized Research Institutes as under:**
1.	**Deputy Secretary**	03 (Three)	General Central Service Group- 'A', Non-Ministerial	Level 12 in pay the matrix (Rs.78800-209200/-)	(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five-year service rendered after appointment to the post on regular basis in level 11 in the pay matrix (67700-208700/-) or equivalent in the parent cadre or Department. (b)Possessing bachelor's degree from recognised university or Institute having five years of experience in Accounts or Administration or Establishment work in a Government Office or Public Sector Undertaking or Statutory Body.
2.	**Deputy Legal Adviser**	01 (One)	General Central Service Group- 'A', Non-Ministerial	Level 12 in pay the matrix (Rs.78800-209200/-)	(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five-year service rendered after appointment to the post on regular basis in level 11 in the pay matrix (67700-208700/-) or equivalent in the parent cadre or Department and having experience of legal and legislative matters. (b)Possessing the following educational qualifications and experience:- (i)bachelor's degree in law from recognised university or Institute having eight years of experience of handling legal and legislative matters; or (ii) Master's degree in law from recognised university or Institute and having five years of experience of handling legal and legislative matters.
3.	**Under Secretary**	01 (One)	General Central Service	Level 11 in pay the matrix	(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or other Department; or

			Group- 'A', Non-Ministerial	(Rs.67700-208700/-)	(ii) with Six years' service rendered after appointment to the post on regular basis in level 8 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department. (b)Possessing bachelor's degree from recognised university or Institute having five years of experience in Accounts or administration or establishment work in a Government Office or Public Sector Undertaking or Statutory Body.
4.	**Section Officer**	03 (Three)	General Central Service Group- 'B', Non-Ministerial	Level 08 in pay the matrix (Rs.47600-151100/-)	(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or other Department; or (ii) with eight years' service rendered after appointment to the post on regular basis in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department. (b)Possessing bachelor's degree from recognised university or Institute having five years of experience in Accounts or administration or establishment work in a Government Office or Public Sector Undertaking or Statutory Body.

Note 1: The Department officers in the feeder Category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2: The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years.
Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.
Note 4: Essential/desirable educational qualifications and experiences will be verified with original certificates.

Interested individuals may send their application in the prescribed proforma (Annexure-I) alongwith passport size photograph, copies of certificates establishing their educational qualification, experience and recent vigilance clearance to the Secretary, National Commission for Homoeopathy (NCH), No. 61-65, Institutional Area, Opp. D Block, Janakpuri, New Delhi-110058 within 30 days from the date of publication advertisement in the Employment News.

Important Note: Incomplete application will not be considered, and NCH reserves the right to reject such applications without assigning any reason.

Secretary (NCH)